बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक: 11/भवन 03–15/2025–305 पटना, दिनांक 07/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि) निर्माण हेतु स्वीकृत राशि–₹9,50,00,00,000 (नौ अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र में से अवशेष राशि ₹3,50,00,00,000 (तीन अरब पचास करोड़) रूपये मात्र तृतीय किस्त के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि) निर्माण हेतु उपबंधित कुल राशि–10,05,00,00,000 (दस अरब) अन्तर्गत स्वीकृत राशि–₹9,50,00,00,000 (नौ अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र में से अवशेष राशि ₹3,50,00,00,000 (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र तृतीय किस्त के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विषय शीर्ष 0103.53.01 के अंतर्गत विपत्र कोड–21–4202–01–202–0103 में 4,00,00,000/–(चार करोड़) एवं 21–4202–01–789–0101 में 1,00,00,000/–(एक करोड़) रूपये अर्थात कुल 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) रूपये मात्र द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्राप्त होने के उपरांत इस मद में कुल ₹10,05,00,00,000 (दस अरब पाँच करोड़) मात्र का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (भवन निर्माण, चाहरदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि) निर्माण हेतु उपबंधित कुल राशि–10,05,00,00,000 (दस अरब पाँच करोड़) रूपये मात्र में से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–81 दिनांक–06.06.2025 के द्वारा कुल ₹9,50,00,00,000 (नौ अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसमें से अबतक निम्नवत् रूप से विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है–

क्र० सं०	विपत्र कोड / विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	विमुक्ति की गयी राशि (रूपये में)
01	21—4202—01—202—0103 / 53.01	₹8,00,00,00,000	81 / 06.06.2025	₹2,64,00,00,000
			287 / 17.12.2025	₹2,56,00,00,000
			योग	**₹5,20,00,00,000**
02	21—4202—01—789—0101 / 53.01	₹1,50,00,00,000	81 / 06.06.2025	₹16,00,00,000
			287 / 17.12.2025	₹64,00,00,000
			योग	**₹80,00,00,000**
	कुल योग	**₹9,50,00,00,000**	**कुल योग**	**₹6,00,00,00,000**

उक्त योजनान्तर्गत कुल उपबंधित राशि अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹9,50,00,00,000 (नौ अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र में से उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के माध्यम से विमुक्त की गयी राशि ₹6,00,00,00,000/— (छः अरब) रूपये मात्र के पश्चात् अवशेष राशि ₹3,50,00,00,000 (तीन अरब पचास करोड़) रूपये मात्र निम्नवत् रूप से विमुक्त की जायेगीः—

क्र० सं०	विपत्र कोड / विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)	तत्काल विमुक्त की जाने वाली राशि	कार्य की विवरणी
01	21—4202—01—202 —0103 / 53.01	₹8,00,00,00,000	₹2,80,00,00,000	राज्य योजनान्तर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि) निर्माण हेतु
02	21—4202—01—202 —0101 / 53.01	₹1,50,00,00,000	₹70,00,00,000	
	कुल योग	**₹9,50,00,00,000**	**₹3,50,00,00,000**	

4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक—9886 दिनांक—05.11.2025 द्वारा राज्य स्कीम के अंतर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान हेतु कुल 691.72 करोड़ (छः अरब इक्यानवें करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र की मांग की गयी जिसमें से

स्वीकृत्यादेश संख्या–287 दिनांक–17.12.2025 के द्वारा कुल 3,20,00,00,000 (तीन अरब बीस करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

5. निदेशानुसार उक्त मांग के अलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि) निर्माण हेतु विपत्र कोड–21–4202–01–202–0103 के विषय शीर्ष–0103.53.01 में उपबंधित राशि ₹8,04,00,00,000 (आठ अरब चार करोड़ रूपये) मात्र में से विमुक्त की गयी राशि ₹5,20,00,00,000 (पाँच अरब बीस करोड़) मात्र के पश्चात् अवशेष राशि ₹2,80,00,00,000 (दो अरब अस्सी करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति तथा विपत्र कोड–21–4202–01–789–0101 के विषय शीर्ष–0101.53.01 उपबंधित राशि ₹2,01,00,00,000 (दो अरब एक करोड़ रूपये) मात्र अन्तर्गत स्वीकृत कुल 1,50,00,00,000 (एक अरब पचास करोड़) रूपये की राशि में से अबतक ₹80,00,00,000 (अस्सी करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति के पश्चात् अवशेष राशि ₹ 70,00,00,000 (सत्तर करोड़) रूपये मात्र अर्थात कुल राशि–3,50,00,00,000 (तीन अरब पचास करोड़) की विमुक्ति, वित्त विभागीय पत्रांक–235 दिनांक–01.04.2025 की कंडिका–02 (ग) के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त स्वीकृत राशि से राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, खेल के मैदान आदि के निर्माण का कार्य कराया जाना है।

7. बजट शीर्षः– संगत शीर्षों में उपलब्ध राशि ₹8,04,00,00,000 (आठ अरब चार करोड़ रूपये) मात्र के अन्तर्गत ₹2,80,00,00,000 (दो अरब अस्सी करोड़) रूपये मात्र का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–4202–सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष–202–माध्यमिक शिक्षा, उप शीर्ष–0103–राजकीय तथा राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विपत्र कोड–21–4202–01–202–0103, विषय शीर्ष–0103.53.01–मुख्य निर्माण कार्य एवं संगत शीर्षों में उपलब्ध राशि ₹2,01,00,00,000 रूपये (दो अरब एक करोड़) के अन्तर्गत ₹70,00,00,000 (सत्तर करोड़) रूपये मात्र का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–4202–सामान्य शिक्षा उप. मुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

योजना, उप शीर्ष–0101–राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विपत्र कोड–21–4202–01–789–0101, विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत होगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्राप्त होने के उपरांत इस मद में कुल ₹10,05,00,00,000 (दस अरब पाँच करोड़) मात्र का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है।

8. राज्य निधि से असैनिक कार्य की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक–09/गो0 दिनांक–19.02.2025 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यो का क्रियान्वयन दिनांक–31.03.2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा हीं किया जायेगा। इस क्रम में राज्य के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर से अधिकतम 50 हजार रूपये तक के निर्माण/मरम्मती के कार्य कराने हेतु अधिकृत है।

9. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा BTC-46 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PBBPLA005 के अंतर्गत Ledger ID-3851, Ledger Name-State P&L for Different School में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जाएगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

10. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

11. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

12. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला

शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

13. राशि का विचलन किसी अन्य मदों में नही किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 12888, दिनांक–03.12.2024 की चालू स्कीमों के तहत कंडिका 03 एवं कंडिका 05 की उप कंडिका (ख) (ii) के आलोक में राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति दी जा रही है।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05–10–2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–02 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक–235 दिनांक–01.04.2025 में निहित प्रावधानों तथा विभागीय आदेश एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या–11/भवन 03–15/2025 के **पृष्ठ/नोट–68/टि0** पर प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–11/भवन 03–15/2025 के **पृष्ठ/नोट–76/टि0** पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/भवन 03–15/2025–305 पटना, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान)/सभी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/बजट शाखा एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/भवन 03–15/2025 ....

पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग